

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

सेवानिवृत्त कर्मियों की क्रमशः 27 सहायक, 03 आशुलिपिक एवं 01 उपनिदेशक, बजट एवं लेखा (अवर सचिव के समकक्ष) के पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति

कारा एवं सुधार सेवाएँ, निरीक्षणालय, गृह विभाग, बिहार, पटना में निम्नांकित रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर निम्न शर्तों के तहत नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

- | | |
|--|---|
| 1. उपनिदेशक, बजट एवं लेखा—(बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव के समकक्ष) | — 01 (एक) पद (अनारक्षित)। |
| 2. सहायक — (बिहार सचिवालय सेवा के सहायक पद से सेवानिवृत्त) | — 27 (सत्ताईस) पद। |
| | (अनारक्षित-13, अति पि0 वर्ग-04, पिछड़ा वर्ग-05, अनु0 जाति-05) |
| 3. आशुलिपिक — (सचिवालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से सेवानिवृत्त) | — 03 (तीन) पद। |
| | (अनारक्षित-02, अति पिछड़ा वर्ग-01) |

सेवानिवृत्त अवर सचिव/सहायक एवं आशुलिपिक की संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र	
<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक का नाम:- 2. आवेदक के पिता/पति का नाम:- 3. स्थायी पता :- 4. पत्राचार का पता :- 5. आवेदक की जन्म एवं सेवा निवृत्ति की तिथि :- (जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) 6. शैक्षणिक योग्यता:- (सभी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) 7. आरक्षण कोटि:- (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) (आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासियों को ही अनुमान्य होगा।) 8. कार्यालय का नाम जहाँ से सेवा निवृत्त हुए हैं। :- 9. सेवानिवृत्ति के समय-पदनाम :- 10. सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले वेतन /पे बैंड/मंहगाई भत्ता/ एवं अन्य कुल प्राप्त होने वाले राशि :- 11. वर्तमान में पेंशन की राशि :- 12. मोबाईल नं0:- <p>नोट:- आवेदन सादे कागज पर स्वहस्तलिखित या टंकित करारकर भेजा जा सकता है।</p> <p style="text-align: center;">घोषणा-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गयी सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं। मेरे द्वारा न तो कोई सूचना छिपाई गई है, और न ही अनुचित ढंग से प्रस्तुत की गई है। यदि भविष्य में किसी स्तर पर दी गई सूचना से किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के ही अस्वीकृत किया जा सकता है एवं विधिक कार्रवाई की जा सकती है।</p> <p style="text-align: right;">आवेदक का हस्ताक्षर</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>कृपया अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं।</p> </div>

2. सेवा की शर्तें:-

- (i) विज्ञापन की अंतिम तिथि को आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होगा तथा कार्यरत रहने की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।
- (ii) संविदा के आधार पर नियुक्ति 2 (दो) वर्ष के लिए होगी तथा चयन प्रथम दो वर्षों के लिए होगी। अधिकतम उम्र सीमा तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनके सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षोपरांत की जा सकेगी।
- (iii) नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वहीं होगी।
- (iv) अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
- (v) संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों में से किसी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (vi) इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मों पूर्ण विवरण के साथ आवेदन हाथों-हाथ महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग, मुख्य सचिवालय बिहार, पटना-800015 के कार्यालय में जमा करेंगे तथा प्राप्ति रसीद प्राप्त करेंगे। ये आवेदन पत्र दिनांक-15.10.2013 तक के अपराह्न 5:00 बजे तक कारा विभाग में प्राप्त हो जाना चाहिए।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।